राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, २८ फरवरी, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक ४ बज कर १५ मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

श्रीमन् राजप्रमुख का उद्घाटन-भाषण

(श्रीमन् राजप्रमुख ने सायं ४ बज १५ मिनट पर सभा भवन में प्रवेश किया और उद्घाटन-भाषण पढ़ा)

Mr Speaker and Hon'ble Members,

मैं आपका विधान सभा के इस सत्र में स्वागत करता हूँ।

(तुमुल करतल ध्वनि)

२. पिछले साल मैंने आपको आशा और विश्वास का संदेश दिया था। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य ने इस साल सभी तरफ काफी तरक्की की है। हमारी आर्थिक दशा पहले से कहीं अच्छी है, कानून और व्यवस्था की हालत में और भी सुधार हुआ है और पांच साला योजना का काम भी काफी आगे बढ़ा है।

३. कानून और व्यवस्था की हालत राजस्थान में हर साल सुधरती जा रही है। खास कमी बड़े अपराधों में हुई है। डकैती, लूट-मार, कत्ल तथा चोरियां आदि में क्रमशः ४३, १५, ५ तथा १६ प्रतिशत कमी हुई है। इस वर्ष १३ डाकू मारे गये, २९४ पकड़े गये तथा ५३ ने खुद अपने को पुलिस के हवाले कर दिया। सन् १९५२ से अब तक २,२६१ डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं, १२४ मारे जा चुके हैं तथा ९१ ने आत्म-समर्पण किया है। इस साल अपने काम में पुलिस को जो सफलता मिली है वह सराहनीय है। इस सुधार के अलावा पुलिस दल की क्षमता एवं कुशलता को बढ़ाने के लिए अलग अलग दिशाओं में वैसा ही प्रबन्ध किया जा रहा है।

४. इस साल १५ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड (National Extension Service Blocks) खोले गये जिससे अब तक राज्य का लगभग पांचवां भाग इस योजना में शामिल हो गया है। इन सेवा खंडों में आम जनता का सड़कें, पुलियां, नये स्कूल वगैरा बनाने में काफी सहयोग रहा है। ये खंड चहुंमुखी विकास के कार्य में उपयोगी साबित हो रहे हैं। जनता का सहयोग अगर रुपयों में आंका जाए तो वह १९ लाख रुपये से कुछ अधिक ही होगा। जैसा कि आपको मालूम है, अगली पांच साला योजना में सारा राजस्थान विस्तार सेवा योजना में आ जायगा।

५. इस साल कुदरत ने भी सरकार का साथ दिया है जिससे पिछले साल के मुकाबले में अभाव की हालत उतनी गंभीर नहीं रही। राज्य के कुछ भागों में वर्षा की कमी के कारण सरकार

द्वारा लगभग दो हजार गांवों में कमी की घोषणा की गई है। राहत के कामों पर इस साल में २२ लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

६. चालू साल के अन्त तक लगभग २४ हजार वर्ग मील इलाके में बन्दोबस्त पूरा हो जाने की आशा है। बाकी बचे हुए हिस्से में भी, जो कुल क्षेत्र का लगभग १४ प्रतिशत है, शीघ्र ही बन्दोबस्त पूरा कर दिया जाएगा।

७. राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५४ [Rajasthan Land Reforms and Jagir Resumption (Amendment) Act, 1954] के लागू होने के बाद करीब ५०५ जागीरें, जिनकी आमदनी करीब एक करोड़ है, ली जा चुकी हैं। कई जागीरदारों ने संविधान की धारा ३२ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन्स (Writ Petitions) पेश की है जिन पर फैसला जल्दी ही होने की आशा है।

८. जागीरों को ले लेने के बड़े काम के अलावा भी भूमि-सुधार की कई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। भूमि देने के लिए नये नियम लागू करके तथा खेती की भूमि की सीमा निर्धारित करके सरकार भूमिहीन किसानों के सवाल को हल करना चाहती है। पिछले साल इस सदन द्वारा राजस्व विभाग के बारे में कई जरूरी कानून बनाये गये, जिनमें सबसे ज्यादा अहमियत का राजस्थान टेनेन्सी बिल (Rajasthan Tenancy Bill) था। इस कानून से बहुत बड़ी संख्या में काश्तकारों को भूमि के नये अधिकार मिलेंगे जिससे उनके रहन-सहन का दर्जा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

९. भूमि-सुधार के साथ यह जरूरी है कि काश्तकारों को खेती के नये तरीकों का फायदा दिया जावे और उनका पशु-धन सुधारा जावे। सरकार को इस बारे में भी बहुत सफलता मिली है। अनाज और रूई की पैदावार पांच साला योजना के लक्ष्य (Target) से भी अधिक बढ़ गई है। रूई की किस्म सुधारने की योजना के अन्तर्गत रूई की काश्त का रकबा ५३ हजार से एक लाख एकड़ हो गया है।

१०. कृषि की शिक्षा के लिए २ ट्रेनिंग स्कूल और खोले गये हैं और पशु-धन की वृद्धि और अच्छी नस्लों के बचाव के लिए पशुओं के दो बड़े अस्पताल और १५ छोटे अस्पताल खोले गये हैं। इसके अलावा जानवरों के इलाज की ऊंची शिक्षा के लिए एक वैटेरिनरी कालेज (Veterinary College) भी खोला गया है। अगले साल के लिए खेती तथा पशु-धन की तरक्की के लिए एक बेसिक एग्रीकल्चर स्कूल और एक कालेज खोलने का सरकार का विचार है।

११. सहकारिता और खेती का निकट सम्बन्ध है और लोक-कल्याणकारी राज्य में इसका खास स्थान है। सहकारिता को तरजीह देने के लिए इस साल राज्य के सहकारी बैंक से समितियों को करीब १४ लाख रुपये कर्ज में दिये गये और अगले साल में २५ लाख रुपये कर्ज देने का सोचा गया है। खेतों की पैदावार की बिक्री का भी सहकारिता के आधार पर प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके लिए बहुद्देशीय (Multi-purpose) सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

१२. राजस्थान की विशाल भूमि से कई नदी-नाले बेकार पानी बहा कर ले जाते हैं। इस

पानी को काबू में करके इसका उपयोग उपज बढ़ाने में किया जा सकता है। इस उद्देश्य से पांच साला योजना के अधीन सिंचाई की कई योजनाएं हाथ में ली गयी हैं। इस साल भाखरा योजना पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इससे इस साल खरीफ की फसल के लिए २५,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की गयी थी। चम्बल योजना पर करीब ८५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहां अभी बांध और नहरों का काम जारी है। सतलज नदी पर हरी के बांध से पानी लेने के लिए राजस्थान नहर का काम भी अगले साल शुरू करने का विचार है जिससे जैसलमेर की मरुभूमि भी लहलहा उठेगी।

१३. सरकार ने पांच साला योजना के आधीन वन विभाग के लिए जो धन मंजूर किया है उसके लिए कई योजनाएं बनाई गयी है जिनमें वर्किंग प्लान, रिसर्च, सड़कें एवं इमारतें बनाने जैसी मुख्य योजनाएं भी हैं। सरकार एक जङ्गली पशु संरक्षण बोर्ड (Wild Life Preservation Board) भी बना रही है। नेशनल पार्क बनाने और शिकार के लिए स्थान सुरक्षित करने की योजनाएं भी सरकार के विचाराधीन है।

१४. राजस्थान के अलग अलग भू-भागों में कुदरत की देन का उचित रूप से उपयोग करने के लिए उद्योग व खनिज विभाग पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

१५. जिप्सम जो कि रसायनिक खाद तैयार करने का मुख्य कच्चा माल (Raw Material) है वह राजस्थान में काफी तादाद में होता है और आज भी सिंदरी फैक्ट्री (Sindri Factory) को हमारे राज्य से ही यह जरूरी चीज मिल रही है। रसायनिक खाद की एक फैक्ट्री राजस्थान में चालू करने की मांग हमने भारत सरकार के सामने रखी है, और हम अपनी इस मांग को बहुत उचित और राजस्थान के लिए जरूरी मानते हैं।

बीच के और छोटे उद्योगों को कम सूद पर कर्ज देने के लिए सरकार ने राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) स्थापित किया है। कुटीर उद्योगों को कर्ज देने के लिए एक ऋण समिति भी बनाई गयी है। खादी व ग्राम-उद्योग मंडल को सरकार ने वैधानिक (Statutory) बनाने का निर्णय कर लिया है। यह भी कुटीर-उद्योगों के विकास में बहुत सहायक होगा।

सरकार के सामने नये उद्योग खोलने की कुछ बड़ी योजनाएं भी हैं जिनमें कपड़े की मिलें, सीमेंट फैक्ट्री, रसायनिक उद्योग, ऊनी कपड़े की मिल व कागज उद्योग आदि खास है।

१६. उद्योगों के साथ साथ खनिज विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिप्सम, घीया भाटा, शीशा, तांबा, जस्ता और लिग्नाइट का उत्पादन काफी बढ़ा है। इनके आधार पर चलने वाले नये उद्योगों के लिए इन खनिजों के नमूने राजस्थान के बाहर प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने तांबे, शीशे, जस्ते और पैट्रोल की विस्तृत सर्वे और अन्वेषण के प्रोग्राम को महत्वपूर्ण समझ कर तरजीह देना स्वीकार किया है और कुछ कार्य जारी हो गया है। इसके अलावा विभागीय प्रोस्पेक्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। खनिज विभाग के आधीन एक प्रयोगशाला भी कायम की गई है।

१७. खेती और उद्योग के काम में सस्ती बिजली क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। बड़ी खुशी की बात है कि भाखरा नांगल योजना से राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, झुन्झुनू, चूरू सीकर और नागौर जिलों के ६१ कस्बों को बिजली मिल सकेगी। इसमें २ करोड़ ३६ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। चम्बल योजना पूरी होने पर राजस्थान के एक और बड़े भाग को बिजली मिलने लगेगी।

१८. पहली पांच साला योजना (First Five Year Plan) के आधीन राजस्थान को २५७ लाख रुपया मौजूदा बिजली के कारखानों को सुधारने के लिए मिला है। इसके अलावा देहातों में बिजली देने की ११६ लाख रुपये की योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई थी जिसमें से ७५ लाख रुपये की योजना मंजूर हो गई है और बाकी दूसरी पांच साला योजना में मंजूर होने की आशा है।

१९. उद्योग और खनिज आदि के कामों को जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं उनकी हितरक्षा और खुशहाली के लिए भी सरकार भरसक कोशिश कर रही है। श्रमिकों के रहने के लिए सरकार की सहायता से मकान बनाने की एक योजना भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी गयी है। मंजूरी मिलने पर इस योजना के आधीन कोई दो हजार मकान बनाए जाएंगे।

२०. राजस्थान में कोई दस हजार श्रमिक इस समय प्रोविडेन्ट फन्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। एम्पलोइज़ स्टेट इन्शोरेन्स (Employees State Insurance) की योजना भी इसी वर्ष राज में लागू किये जाने का विचार है।

दक्ष व कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए सरकार टैकनिकल ट्रेनिंग सेन्टर्स (Technical Training Centres) का काम बढ़ा रही है।

२१. राजस्थान के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग और खेती की उन्नति के साथ साथ जन कल्याणकारी कामों को बढ़ाने की भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

२२. शिक्षा के बारे में सरकार बहुत जागरूक है और इस काम में संतोषजनक प्रगति हो रही है। शिक्षा पर सन् १९५०-५१ में २ करोड़ २ लाख रुपये खर्च हुए थे। सन् १९५४-५५ में यह खर्च बढ़ कर ३ करोड़ ३५ लाख तक पहुँच गया है। आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार ने अपनी शिक्षा योजनाओं को चालू रक्खा है और शिक्षा देने के तरीके में आमूल परिवर्तन किये हैं।

२३. सरकार ने निश्चय कर लिया है कि प्रारम्भिक शिक्षा बुनियादी तरीके पर ही दी जावे और इस निश्चय को अमल में लाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार तमाम प्रशिक्षण संस्थाएं (Training Institution) बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में तब्दील हो जाएंगी। सरकार ने सिद्धान्त के तौर पर सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन (Secondary Education Commission) की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है और उसको अमल में लाने की कोशिश कर रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि राजस्थान सरकार ने इस बारे में जो योजना बनाई है उसे भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है और सरकार को करीब ३१ लाख रुपये की सहायता दी है। इसके अनुसार अगले साल

२५ बहुद्देशीय हाई स्कूल (Multi-purpose High Schools) खोले जाएंगे और दूसरे स्कूलों की उन्नति की जाएगी। सरकार सैकन्डरी एज्यूकेशन के लिए एक बोर्ड की स्थापना कर रही है जिसके लिए एक बिल शीघ्र ही इस सदन में पेश किया जायगा ।

२४. इसके अलावा सरकार टैक्निकल एज्यूकेशन (Technical Education) को विशेष महत्व देती है। भारत सरकार ने जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज को उन्नत करने की योजना को मंजूर कर लिया है जिससे इस साल इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल और ड्राफ्टसमैनशिप (Electrical, Mechanical and Draftsman-ship) में डिप्लोमा कोर्स (Diploma Courses) चालू कर दिये हैं । सिविल इन्जीनियरिंग (Civil Engineering) में ओवरसीयर्स (Overseers) की मांग को पूरी करने के लिए डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) में भी विद्यार्थियों को भर्ती करने की गुंजाइश दुगनी कर दी गयी है। सरकार का विचार है कि राजस्थान के अन्य भागों में भी टेक्निकल (Technical) शिक्षा प्रदान की जावे और जगह जगह पोलि-टेक्नीक (Polytechnic) संस्थाएं खोली जावें जिनके लिए योजनाएं बन चुकी हैं और भारत सरकार के पास भेजी जा रही हैं ।

२५. सरकार ने विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा करीकूलर एक्टिविटीज़ (Extra-curricular activities) को ध्यान में रखते हुए नेशनल केडेट कोर (National Cadet Corps) के सात नये डिविजन आरम्भ किये हैं जिनमें ३ डिविजन लड़कियों के हैं । इसके अलावा राज्य के सभी हाई स्कूलों में ए. सी. सी. (A. C. C.) भी आरम्भ किया गया है जिनमें कैडेटों की संख्या लगभग ५०,००० है। इस योजना से विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना बढ़ेगी और वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे ।

२६. सरकार की पुस्तकालय सेवा एकीकरण योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय, पांच डिवीजनल तथा पच्चीस जिला वाचनालय स्थापित किये जा रहे हैं। इन वाचनालयों से गावों में भी मोटरों द्वारा पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी ।

२७. जनहितकारी कामों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की खास जगह है। जरूरी कानून और नियमों के अभाव में दवाइयों में मेल मिलावट (Adulteration) रोकना कठिन था। अब इसके नियम बना लिये गये हैं और एक मेडिकल बोर्ड भी कायम किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में एम. डी. (M. D.) और एम. एस. (M. .S) की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। तपेदिक की रोक के लिये बी. सी. जी. आन्दोलन (B.C.G. Campaign) को जारी रखा गया और मलेरिया की रोकथाम के लिए दो एन्टीमलेरियल यूनिट्स (Anti--Malarial Units) भी कायम किये गये। आशा की जाती है कि इन उपायों से जनता को इन बीमारियों से राहत मिलेगी। अगले साल अस्पताल, औषधालय, प्रसूतिगृह तथा शिशु कल्याण केन्द्र आदि और अधिक खोले जाएंगे।

२८. सरकार ने परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण की ओर भी पूरा ध्यान दिया है। इन जातियों में कल्याण कार्य के लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने मिलकर करीब ४० लाख रुपये मंजूर किये हैं। सरकार ने इस साल अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में समुचित स्थान देने एवं उन्हें योग्यता के अनुसार गजैटेड स्थान भी देने की कोशिश की है। कुछ ग्रेजुएट्स को नायब तहसीलदार, पब्लिक प्रोसीक्यूटर और इन्सपेक्टर्स एडहॉक बेसिस पर नियुक्त करने की मंजूरी दी गयी है।

२९. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राजस्थान के लिये १० समाज कल्याण खण्ड मंजूर किये हैं। इस योजना के अनुसार बालकों, महिलाओं आदि के लिये हर खण्ड में एक साल में २५ हजार रुपये खर्च होंगे। इसमें से चौथाई रकम राजस्थान सरकार देगी। ऐसी आशा है कि अगले साल कम से कम १५ कल्याण खण्ड और राजस्थान को मिलेंगे।

३०. राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति (Displaced Persons) भी एक बड़ी तादाद में है और उनको बसाने के लिए सरकार ने अब तक करीब ढाई हजार मकान और एक हजार दूकानें बनाई हैं। इस काम को और भी तेजी से करने के लिए इस साल हर एक डिविजन में एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष डिविजनल कमिश्नर हैं। लगभग ८०० मकान अभी बन रहे हैं और करीब १,००० दुकानें राजस्थान के अलग अलग भागों में बन चुकी हैं। खेती करने वाले लोगों को लगभग ६ लाख एकड़ जमीन दी गई है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि जिस मुआवजे को चुकाने की भारत सरकार एक अर्से से कोशिश कर रही थी, उसका चुकाया जाना शुरू हो गया है।

३१. इस लम्बे चौड़े राज्य में बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और उद्योग व्यवसाय को यातायात की सहायता की पूरी जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक हो। पांचसाला योजना में सड़कों के लिए स्वीकृत २ करोड़ रुपये के अलावा भारत सरकार से १ करोड़ ३० लाख रुपये की मांग की गई है जिससे राजस्थान को दूसरे राज्यों से मिलाने वाली सड़कें बनाई जायेंगी। चालू साल में कुल ७०० मील सड़कें बना कर पूरी की जा रही हैं।

३२. हमें खुशी है कि भारत सरकार से हमें सड़क की उन्नति के लिए जो मदद मिल रही है उसके अलावा राजस्थान में रेलों के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है अभी हाल में फतेहपुर चुरू लाइन का काम शुरू हुआ है, और कुछ लाइनों की पैमाइश हो रही है। इससे हमारे राज्य के कई हिस्से एक दूसरे से जुड़ जायेंगे।

३३. भवन निर्माण पर इस साल लगभग ७० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे शासन की सुविधा के लिए इमारतें बनाई जा रही हैं जिससे प्रशासन की कठिनाइयां किसी हद तक दूर हो जायेंगी।

३४. देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए यह जरूरी है कि गांव का रहने वाला व्यक्ति भी अपने क्षेत्र के स्थानीय शासन में हाथ बंटाये। ग्राम पंचायतें, नगरपालिकायें और जिला बोर्ड के विस्तार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये जा रहे हैं। चुनाव भी कई जगह हो चुके हैं।

३५. गांवों में पीने के पानी की सुविधा के लिए इस साल २५ लाख रुपया मंजूर किया गया है और आगामी साल के लिए करीब ७० लाख रुपया इस कार्य के लिए रहेगा जिससे नये जलाशय बनाये जा रहे हैं व पुराने जलाशयों की मरम्मत की जा रही है। यह काम स्थानीय संस्थाओं के सुपुर्द किये गये हैं। १० नगरों में जल व्यवस्था के लिए ६३ लाख रुपये के लागत की एक योजना भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई है तथा अन्य नगरों के लिए भी जहाँ म्युनिसिपैलिटियां हैं इसी प्रकार जल व्यवस्था की योजनायें तैयार की जा रही हैं। इन कामों को तेजी से चलाने के लिए सरकार ने एक रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड (Rural Water Supply Board) बनाया है।

३६. राज्य कार्य में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग करने की नीति के अनुसार इस साल कुछ विभागों में हिन्दी का प्रयोग करने का आदेश दिया गया है। सरकार की नीति राज्यकार्य में अंग्रेजी का स्थान जल्दी से जल्दी हिन्दी को देने की है। इसी नीति के अनुसार पंचायत, शिक्षा, सहकारी, स्वायत्त-शासन और देवस्थान विभागों में, नगर और कस्बा इम्प्रूवमेन्ट (Improvement)कमेटियों में और सचिवालय के न्याय विभाग के एक भाग में सारा काम हिन्दी में करने की आज्ञा जारी की गई है। सचिवालय से जनता को भेजे जाने वाले पत्रादि अब हिन्दी में ही भेजे जाते हैं। राज-पत्र में नियुक्ति आदि की सूचनायें हिन्दी में दी जाती हैं। सरकार यह कोशिश करेगी कि अगले साल और भी दूसरे महकमे हिन्दी में काम करने लग जायं और हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें।

३७. सचिवालय तथा जिला प्रशासन के कार्य में जो देरी होती थी उसे दूर करने के लिये सरकार ने दो समितियां मुकर्रर की थीं और उनकी रिपोर्ट पेश होने पर उनकी सिफारिशों को मंजूर किया गया है और उनको कार्यान्वित भी किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि सरकारी कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर कार्य अधिक तेजी से हो सकेगा।

३८. भ्रष्टाचार की रोक के लिये एक सरकारी व्यवस्था पहले से मौजूद है परन्तु इसमें गैर सरकारी व्यक्तियों को शरीक करके भ्रष्टाचार की बुराई को मिटाने के लिये सरकार ने और भी कड़ी व्यवस्था की है। इसके लिये एक बोर्ड मुकर्रर किया गया है जिसमें २ गैर सरकारी सदस्य हैं।

३६. एकीकरण के बाद राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों की तरक्की बनाये रखने के लिये सरकार ने एक समिति बनाई थी। समिति की सिफारिशों को अधिकांश रूप में सरकार ने स्वीकार कर लिया है जिसके अनुसार कई एक सरकारी विभाग जैसे बन्दोबस्त, मेडिकल, कृषि, ट्रांसपोर्ट, देवस्थान आदि जो इस वक्त जयपुर में हैं उन्हें जोधपुर, भरतपुर, अलवर आदि शहरों में भेजा जा रहा है।

४०. विधान सभा के पिछले सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये जिनमें राजस्थान भूदान यज्ञ विधेयक (Rajasthan Bhoodan Yagna Bill), राजस्थान बिक्री कर विधेयक (Rajasthan SalesTax Bill), राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक [Rajasthan Land Reforms and Jagir Resumption (Amendment) Bill] राजस्थान टेनेन्सी विधेयक (Rajasthan Tenancy Bill) आदि के नाम विशेष रूप से लिये जा सकते हैं। इस समय विधान सभा के समक्ष मुख्यतः दो बड़े विधेयक अर्थात् राजस्थान भूमि राजस्व विधेयक (RaJasthan Land Revenue) और राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज विधेयक (Rajasthan Municipalitics Bill) विचार के लिये पेश हैं।

४१. एक लम्बे अर्से से राजस्थान के कृषक और व्यापारी यह अनुभव करते थे कि आयात निर्यात कर के कारण राजस्थान के आर्थिक जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि १ अप्रेल सन् १६५५ से राजस्थान में आयात और निर्यात कर समाप्त कर दिया जायेगा और शेष भारत के साथ 'अ' श्रेणी के राज्यों के समान ही व्यापार करने की सुविधायें हमारे यहां के लोगों को उपलब्ध हो जायेंगी। यहां यह

कह देना भी उचित होगा कि इसका असर राजस्थान सरकार की आय पर गहरा पड़ेगा और उसे पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार पूरी तौर से प्रयत्न करेगी जिससे आगे के विकास कार्यों पर कोई बाधा न आये।

४२. सेवाओं का एकीकरण जो बाकी था पूरा कर दिया गया है और नियुक्ति, तरक्की, आदि के नियम भी कई एक, सेवाओं के बना दिये गये है और बाकी बनाये जा रहे हैं। इन नियमों के अनुसार इस वर्ष पहली बार आर. ए. एस. (R. A. S.), आर. पी. एस. (R. P. S.) और राजस्थान एकाउन्टस सर्विस (Rajasthan Accounts Service) में भरती के लिए परीक्षायें ली गई हैं। तहसीलदारों की भरती के लिये भी परीक्षा ली जाने वाली हैं। इससे नवयुवकों को भी राज्य की इन ऊंची सेवाओं में अवसर मिलेगा।

४३. शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या भी सरकार के ध्यान में है और इसको दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग व विकास विभाग में शिक्षित नवयुवकों को मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी पांच साला योजना में भी इस समस्या को ध्यान में रखा जा रहा है।

४४. आने वाले वर्षों में राजस्थान का भविष्य उज्जवल है और यह इस बात पर निर्भर है कि दूसरी पांच साला योजना को पूरा करने में राजस्थान सरकार व जनता किस तेजी से कदम उठाती है। अगले साल के लिये सबसे महत्वपूर्ण काम यह रहेगा कि दूसरी पांच साला योजना के लिये हर तहसील व जिले से योजना मंगा कर संकलित की जाय और भारत सरकार के सामने रखी जाय ताकि राजस्थान का कोई भाग विकास से वंचित न रहे।

४५. मैं आशा करता हूं कि गत वर्षों की भांति सहयोग व स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के वातावरण में आप इस राज्य की जनता की उन्नति व कल्याण के उपाय अपनायेंगे। अब आप लोग अपना विचार-विमर्ष करें।

(४ बज कर ३० मिनट पर श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण समाप्त हुआ। तत्पश्चात सदन की बैठक ४ बज कर ४० मिनट पर, दिनाँक १ मार्च, १९५५ के ८ बज कर ३० मिनट प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
२८ फरवरी, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।